In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 6/6 /2010/174(120)/XXVII(8)/2008 dated June, 2010 for general information.

Uttarakhand Shasan
VITTA ANUBHAG-8
No.6 | 6 / 2010 / 174(120) / XXVII(8) / 2008
Dehradun :: Dated: : 73June, 2010

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in schedule-II(B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

Amendment

In Schedule-II(B), for the existing entry at serial no. 133, the following entry shall be substituted; namely-

"Plywood product namely block board, flush door, veneer and plain and prelaminated fiber and particle boards made out of agro residue base, such as bagasse and fiber boards and particle boards made out of timber of agro based trees such as eucalyptus and poplar."

(L.M.PANT) 21/6/2018

SECRETARY, FINANCE.

69

14 /2 3 3mm
3 5 7 10 A SM

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 सं0 6/6/2010/174(120)/XXVII(8)/2008 दिनांकः देहरादून ः 2 उजून, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:—

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपिठत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची—II(ख) में क्रमांक संख्या 133 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी: अर्थात-

"प्लाईवुड उत्पाद अर्थात् ब्लौक बोर्ड, फ्लश डोर, विनीयर एवं कृषि अपशिष्ट जैसे बैगास से निर्मित प्लेन एवं प्रीलैमिनेटेड फाइबर व पार्टिकल बोर्ड्स एवं कृषि आधारित वृक्षों यथा यूकेलिप्टस एवं पापूलर के टिम्बर से निर्मित फाइबर बोर्ड्स व पार्टिकल बोर्ड्स।"

्रसं<u>० ६/६</u> <u>/2010/174(120)/XXVII(8)/**2008** तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें। 2-निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-गार्ड फाईल हेत् / एन०आई०सी०।

(एस०एस०वल्दिया) उपसचिव,वित्त

730670(3